उत्तर प्रदेश शासन

खेल अनुभाग

संख्या- 12/2017/1588/बयालिस-2017-27(बजट)/2016

लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त, 2017

<u>शुद्धि पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष धनराशि निदेशक, खेल के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0- 495/बयालिस-2017-27(बजट)/2016 दि0 18 अप्रैल, 2017 के साथ संलग्न संलग्नक में राजस्व लेखा पक्ष के मतदेय योग:- 001 में त्रुटिवश रू0 1510.57 लाख टंकित हो गया है जबकि उक्त के स्थान पर मतदेय योग:-001 रू0 1491.85 लाख होना चाहिए। जिसके कारण शासनादेश के प्रस्तर-1 में लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत धनराशि त्रुटिवश रू0 2786.83 लाख टंकित हो गया, जबकि उक्त के स्थान पर रू0 2768.11 लाख होना चाहिए ।

अत: शासनादेश दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के प्रस्तर-1 में लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रू0 2768.11 लाख पढा जाये तथा शासनादेश के साथ संलग्न विवरण में राजस्व लेखा पक्ष के मतदेय योग:- 001 रू0 1491.85 लाख पढा जाये।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 1588(1)/बयालिस-2017-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

1- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3- निदेशक, खेल, खेल निदेशालय, उ0प्र0 , लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/5
6- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-5
7- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर प्रति ।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in